वर्ष 35 अंक 1 जनवरी 2021

बुद्धिवादी

बुद्धिवादी, मानवतावाद, निरीश्वरवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रसार के लिए
बुद्धिवादी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका

इस अंक में

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम : एक विश्लेषण 1

- लव आज़ाद 2
- अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के फ़ैसले 3
- आदित्यनाथ के अध्यादेश के भयानक दुष्परिणाम 4
- जनतंत्र समाज, बिहार, की दो वर्षों की रिपोर्ट 4
- पुस्तक परिचय 8
- हाथरस गैंगरेप अपडेट 8

नारी की एकजुटता 9

- सांस्कृतिक सोच का अपडेट 10
- शर्मनाक अश्लील गांलियां 11
- इतिहास गवाह है - महिला किसान 12
- लॉकडाउन सम्बन्धी यातनाएँ 13
- जेंडर समानता सोच 14
- पुस्तक परिचय:

- जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता 14
- We Should All Be Feminists 15

सम्पादक मंडल
डॉ. रमेंद्र
डॉ. कवलजीत कौर
डॉ किरण

सम्पादकीय सहायक
प्रिया नाथ
शीबा नाज़
ललित

216 -ए, श्रीकृष्णपुरी, पटना 800001
Email: dr.ramendra.nath@gmail.com
kawaljeetkaur.patna@gmail.com
Visit the Facebook Page of
Buddhiwadi Foundation

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम : एक विश्लेषण

डॉ. रमेन्द्र

'बुद्धिवादी' के पिछले अंक के अग्रलेख में हमने मतदाताओं से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, अपने स्तर पर निर्णय ले कर, हर विधानसभा क्षेत्र में आर० एस० एस०-बी० जे० पी०-गठबंधन के विरुद्ध; सबसे सशक्त, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी उम्मीदवार को चुन कर; अपना मूल्यवान वोट उसे देने की अपील की थी। हमारा उद्देश्य बी० जे० पी०-गठबंधन-विरोधी वोटों के विभाजन को रोक कर, उसे चुनाव में हराना, या राजनितिक रूप से कमज़ोर करना था।

एक तरह से देखा जाए, तो चुनाव-परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आये। बी० जे० पी०-गठबंधन, चाहे बहुत कम अन्तर से ही सही, विधानसभा में बहुमत पाने, और अपनी सरकार बनाने में सफल रहा। 243 सदस्यों की विधानसभा में बी० जे० पी०-गठबंधन को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली।

लेकिन, विधानसभा चुनाव और उसके परिणाम के हमारी दृष्टि से कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। चुनाव के पहले और लॉकडाउन के बाद से ही हमने जनतंत्र समाज (CFD) और बुद्धिवादी समाज/फाउंडेशन की ओर से लगातार नागरिकों के अस्तित्व से जुड़े बुनियादी सवालों को -- भूख; स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अप्रवासी मज़दूरों की बदहाली; बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार -- उठाते रहे थे। इसके अलावा, हमने साम्प्रदायिकता, निजीकरण और CAA (नागरिकता संशोधन कानून) का शांतिमय विरोध करने वालों को UAPAऔर NSA जैसे अलोकतांत्रिक कानूनों के सहारे जेल में डाले जाने के विरूद्ध भी आवाज़ उठायी थी। इतना ही नहीं,

हमने महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न के मामलों को प्रमुखता से उठाया था।

यहाँ तक कि 'बुद्धिवादी' के पिछले अग्रलेख में उठाये गए मुद्दों में केंद्र सरकार द्वारा बड़े ही अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में तीन किसान और जन-विरोधी बिल (अब कानून) पास कराने के मुद्दों को भी उठाया गया था। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं -- यह सवाल भी उठाया गया था। इसके अलावा, अनाज, दाल, तिलहन, खाने के तेल, प्याज़ और आलू को "आवश्यक वस्तुओं" (Essential Commodities) के दायरे से बाहर निकालने का भी विरोध किया गया था।

पिछले विधानसभा चुनाव के अभियान का सबसे सकारात्मक पक्ष यह रहा कि प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, द्वारा चुनाव अभियान को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिशों, और निम्नस्तरीय व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बावजूद; प्रमुख विपक्ष, महागठबंधन, द्वारा युवा नेता, तेजस्वी, के नेतृत्व में जमीन से जुड़े मुद्दों -- कमाई, दवाई, पढ़ाई -- पर एक बहुत ही प्रभावशाली, सकारात्मक चुनाव अभियान चलाया गया, और बी० जे० पी०-गठबंधन को एक कड़ी चुनौती दी गई।

अगर मतदाताओं के वोट के प्रतिशत को देखा जाये, तो महागठबंधन और बी० जे० पी०-गठबंधन को लगभग बराबर वोट मिले हैं (33 और 33.5 प्रतिशत)। बाकी के लगभग 33.5 प्रतिशत मत अन्य विरोधी पार्टियों को मिले। इस तरह, 66 प्रतिशत से अधिक वोट बी० जे० पी०-गठबंधन के विरुद्ध पड़े हैं। अगर बाकी के 33.5 प्रतिशत वोटो में से 3 प्रतिशत भी महागठबंधन को मिले होते, तो परिणाम कुछ और होता। 10 से अधिक सीटों पर वोटों का अंतर एक हज़ार से भी कम रहा। हिलसा में विजयी जदयू उम्मीदवार सिर्फ़ 11 वोटों से जीता है। इससे एक बार फिर, बी० जे० पी०- विरोधी वोटों के विभाजन को रोकने का महत्व स्पष्ट होता है।

जहाँ तक नीतीश कुमार के जदयू का सवाल है, तो उसके सीटों की संख्या 71से घट कर 43 हो गयी। जदयू दूसरे नम्बर से तीसरे नम्बर की पार्टी बन गयी। राजद पिछले विधानसभामें भी सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस विधानसभा में भी 75 सीटें ले कर, सबसे बड़ी पार्टी है। एक तरह से देखा जाए तो जनादेश नीतीश कुमार के विरुद्ध है। भाजपा तो चिराग पासवान के ज़रिये दोमुँही नीति पर चल रही थी।

कुल मिला कर आज की तारीख में स्थिति यह है कि तेजस्वी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। बिहार में विपक्ष विधानसभा के अंदर तो मज़बूत है ही, मतदाताओं और नागरिकों के स्तर पर और भी अधिक मज़बूत है। आज ऐतिहासिक किसान आंदोलन को बिहार में भी व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। लॉकडाउन के पहले CAA के विरुद्ध एक व्यापक जनआंदोलन चल रहा था।

संक्षेप में, जैसा कि हमने चुनाव परिणाम के बाद, अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था, हम चुनाव परिणाम का सम्मान करते हैं; लेकिन लोकतंत्र की रक्षा, और सही दिशा में सामाजिक परिवर्तन के लिए हमारा शांतिमय संघर्ष पहले की तरह ही जारी रहेगा।

लव आज़ाद

डॉ. रमेन्द्र

आदित्यनाथ जब नए-नए उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने "ऐंटी रोमियो स्क्वॉड" बनाये थे, जो पार्क में साथ घूमने वाले औरत-मर्दों पर निगरानी रखने के लिए थी! यह नागरिकों के निजी जीवन में हस्तक्षेप और सर्वाधिकारवादी मानसिकता का बेहतरीन उदाहरण था। अब उन्होंने मुस्लिम मर्द और हिन्दू औरतों के बीच विवाह और धर्म-परिवर्तन रोकने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के दुरूपयोग के कई भयानक दृष्टान्त सामने आ चुके हैं। (देखें, पृष्ठ 4)

ताज़ा स्थिति यह है कि इस अध्यादेश (Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020) और उत्तराखंड के एक कानून (Freedom of Religion Act, 2018) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए, 'सिटिज़न्स फॉर जस्टिस ऐंड पीस' नामक एन.जी.ओ. ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी की है, जिसका उन्हें चार सप्ताह के अंदर जवाब देना है।

उत्तर प्रदेश के अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गयी है, जिसकी अगली सुनवाई 6 फरवरी

को होनी है। उत्तर-प्रदेश की सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गयी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया, और उत्तर-प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली।

दो व्यस्क व्यक्ति नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म के किसी बन्धन के बिना, परस्पर सहमति से विवाह कर सकते हैं -- यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानव-अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र मानव-अधिकार घोषणा-पत्र में इसका ज़िक्र है (आर्टिकल 16)। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) का सदस्य होने के नाते, यह भारत सरकार की भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

वास्तविकता तो यह है कि आर० एस० एस०-बी० जे० पी० को भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध नफ़रत फ़ैलाने के अपने ऐजेंडा के लिए, कोई न कोई मुद्दा चाहिए। एल० के० अडवाणी के समय यह बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि का मुद्दा था। नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में गाय को मुद्दा बनाया गया, और "मॉब लिंचिंग" की शर्मनाक घटनाएं हुईं। दूसरे कार्यकाल में, कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना, CAA और NRC/NPR के मुद्दे आये, दिल्ली में दंगे कराये गए। अब जब ये सारे मुद्दे गोबर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बी० जे० पी० सरकारों द्वारा इस तथाकथित "लव जिहाद" के मुद्दे को उठाया जा रहा है।

बुद्धिवादी समाज/फाउंडेशन अपनी स्थापना के समय से ही, जाति और धर्म के बंधन के बिना, परस्पर सहमति द्वारा विवाह, या अंतरजातीय-अंतरधार्मिक विवाह का समर्थन करते रहें हैं, और आगे भी करते रहेंगे।

Forthcoming Publication of the Buddhiwadi Foundation

Philosophy of Love

by

Dr. Ramendra

नए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बड़े फ़ैसले

डॉ. रमेन्द्र

78 वर्षीय जो बाइडन ने 20 जनवरी, 2021, को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे पहले, वे 2009-2017 तक तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे। बाइडन के साथ भारतीय मूल की अमेरिकन, कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति बनी। अपने कार्य-काल के पहले दिन ही उन्होंने ट्रम्प प्रशासन के फैसलों को उलटते हुए, कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए। अमेरिका फिर से जलवायु संकट से सम्बंधित पेरिस समझौते में शामिल हुआ है। इसी तरह, अमेरिका दुबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में भी शामिल हो गया है। इसके अलावा, कई मुस्लिम-बहुल देशों से अमेरिका-यात्रा पर, ट्रम्प द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को भी हटा दिया गया है। उनके ये निर्णय सराहनीय और स्वागत-योग्य हैं।

उल्लेखनीय है की बाइडन ने अपने चुनाव-अभियान के दौरान यह कहा था के वे चाहते हैं कि भारत सरकार कश्मीरियों के अधिकारों को फिर से बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये। साथ ही, उन्होंने CAA,और असम में NRC लागू किये जाने पर निराशा व्यक्त की थी। बाइडन ने, अपने नीति-सम्बन्धी दस्तावेज़ में यह वादा किया है कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को फिर से बहाल करने के लिए काम करेंगे।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमरीकी चुनाव अभियान के दौरान, अमेरिका के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए, एक पक्ष (ट्रम्प) का समर्थन कर के, विदेश-नीति और डिप्लोमैसी की दृष्टि से बहुत भारी भूल की थी। शायद अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो।

मानव अधिकार का उल्लंघन किसी भी देश का आन्तरिक मामला नहीं है!

आदित्यनाथ के अध्यादेश के भयानक दुष्परिणाम (पिंकी और राशिद की कहानी)

शीबा नाज़

पिंकी और राशिद उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में काम करते थे। उन्हें आपस में प्रेम हो गया। पिंकी ने उत्तराखंड के कानून के अनुसार, विधिवत अपना धर्म-परिवर्तन कर के इस्लाम धर्म को अपना लिया। पिंकी और राशिद ने 24 जुलाई, 2020, को शादी कर ली।

विवाह के कुछ समय बाद, दिसंबर के महीने में, पिंकी अपने पति के साथ उत्तर-प्रदेश के मुरादाबाद के जिले में, अपने घर पर आयी। इस बीच, उत्तर-प्रदेश में आदित्यनाथ का विवादास्पद अध्यादेश जारी हो चुका था। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी की वे अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करा लें। जब वे अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने आवश्यक दस्तावेज़ के साथ जा रहे थे, रास्ते मेंबजरंग दल के लोगों ने उन्हें घेर लिया, और उन्हें थाने ले जाया गया। दस्तावेज़ दिखाने और सारी बातें बताये जाने के बाद भी, पुलिस ने उनकी एक न सुनी। राशिद को जेल भेज दिया गया, और पिंकी को, जो तीन माह से गर्भवती थी, जबरन 8 घंटे थाने में रोक कर रखा गया और अंततः मुरादाबाद के नारी निकेतन में भेज दिया गया।

सारी घटनाक्रम का कुल परिणाम यह हुआ कि पिंकी का गर्भपात हो गया। राशिद को 15 दिनों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि पुलिस को उसके विरुद्ध कोई भी प्रमाण नहीं मिले। पिंकी ने CrPC की धारा 164 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में यह बयान दिया कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, और अपने मर्ज़ी से इस्लाम धर्म को अपनाया था।

राशिद के 15 दिनों के बाद जेल से रिहा हो कर, पिंकी के घर आने पर, दोनों का अश्रुपूर्ण मिलन हुआ। उन्होंने बजरंग दल के विरुद्ध कोई औपचारिक शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया।

पिंकी ने कहा के वो जल्द से जल्द देहरादून लौटना चाहती है। वो ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहती है, जहाँ उसके विवाह पर सवाल उठाये गए। उसने कहा कि “अब यह मेरा घर नहीं है”। हमने अंतर्धार्मिक विवाह किया है, इसलिए, यहाँ भविष्य में भी हमारे लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। निश्चित तौर से यह जगह हमारे लिए नहीं है।

जनतंत्र समाज (Citizens for Democracy-CFD), बिहार, की दो वर्षों की रिपोर्ट

डॉ. रमेन्द्र

मेरा चुनाव

मुझे 9 फ़रवरी, 2019, को बिहार स्टेट गांधी निधि में राष्ट्रीय अध्यक्ष, एस. आर. हिरेमठ, की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में, जनतंत्र समाज (**CFD**), बिहार इकाई, का अध्यक्ष चुना गया।

कार्यकारिणी की बैठक

17 फ़रवरी, 2019, को मेरी अध्यक्षता में बुद्धिवादी सेमिनार कक्ष में CFD, बिहार इकाई, की कार्यकारिणी की बैठक हुई। कार्यकारिणी में विनोद रंजन को जनतंत्र समाज, बिहार इकाई, का महासचिव निर्वाचित किया गया। सदस्यता अभियान चलाने के अलावा 2 और 3 मार्च, 2019, को जनतंत्र समाज द्वारा नई दिल्ली में आयोजित "लोकतंत्र बचाओं, देश बचाओं" सम्मलेन को सफ़ल बनाने के लिए प्रयत्न करने का निर्णय लिया गया।

दिल्ली में "लोकतंत्र बचाओं, देश बचाओं" सम्मलेन

दिल्ली सम्मलेन में, मैंने "आगामी लोकसभा चुनाव में गैरपार्टी नागरिकों की भूमिका" पर अपने विचार रखें। (यह 'बुद्धिवादी' जनवरी, 2019, अंक में अग्रलेख के रूप में प्रकाशित है।) सम्मलेन में मेरे अलावा बिहार से रामशरण, प्रभात कुमार और विनोद रंजन भी शामिल हुए।

पटना में "लोकतंत्र बचाओं, देश बचाओं" गोष्ठी और अभियान

राष्ट्रीय सम्मलेन के बाद, पटना में भी बुद्धिवादी सेमिनार कक्ष में "लोकतंत्र बचाओं, देश बचाओं" विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक नए-पुराने साथियों ने हिस्सा लिया, और लोकसभा चुनाव में हमारी क्या भूमिका हो, इस पर सभी ने अपने विचार रखे। यह माना गया के हमें सह-नागरिकों को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर छाए ख़तरों के प्रति आगाह करते हुए, शिक्षित, जागृत और संगठित करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा-विरोधी मतों के विभाजन को रोकने तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समतावादी उम्मीदवारों के समर्थन पर बल दिया गया। धर्म के आधार पर नफ़रत फैलाने के प्रयत्नों का सक्रिय विरोध करते हुए, साम्प्रदायिक

सौहार्द बनाये रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की ज़रूरत बताई गयी। जनतंत्र समाज-बिहार द्वारा इस आशय की अपील करते हुए, एक पर्चे का भी प्रकाशन किया गया, और इसे आम लोगों के बीच वितरित किया गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में फेसबुक और व्हाट्सऐप्प जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित-प्रसारित किया गया।

जनतंत्र समाज, बिहार, का प्रांतीय सम्मेलन

जनतंत्र समाज (Citizen for Democracy - CFD), बिहार, का एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन 8 दिसम्बर, 2019, को पटना के गाँधी संग्राहलय में आयोजित किया गया।

मुख्य वक्ता के रूप में जनतंत्र समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एस० आर० हिरेमठ, शामिल हुए, जबकि जनतंत्र समाज, बिहार, के अध्यक्ष के रूप में मैं ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

एस० आर० हिरेमठ ने बी० जे० पी०-आर० एस० एस० से लोकतंत्र के लिए खतरे के प्रति आगाह किया, और इसके विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया।

इसके आलावा, जगत भूषण, प्रभाकर कुमार, साजदा खातून, उमेश, सुवाष चंद्र, बम बम सिंह, सागर और प्रभात कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये। डॉ किरन नाथ दत्ता ने सी० ए० ए० (नागरिकता संशोधन कानून) और एन० आर० सी० के विरोध का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके आलावा, "फेक एनकाउंटर" के विरुद्ध भी एक प्रस्ताव पारित किया गया।

सम्मलेन में विनोद रंजन, निर्मल चंद्र, प्रवीन कुमार मधु, शाहिद कमाल, पुतुल, धीरज कुमार निराला। सतीश कुमार, प्रिया नाथ, संजीव कुमार श्रीवास्तव, फा० जोन्स के, इरफान नूरी, अख्तरी बेगम, मनोज कुमार, ललित और रामशरण सहित लगभग सौ लोग शामिल हुए।

प्रथम सत्र में बी० जे० पी०-आर० एस० एस० से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए ख़तरे के अलावा, चुनाव-सुधार पर भी विचार हुआ।

भोजन-अवकाश के बाद, कश्मीर के नाज़ुक हालात, और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। कश्मीर में अलोकतांत्रिक तरीके से लाये गए परिवर्तनों का जनतंत्र समाज ने विरोध किया, और फिर से पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग की।

मैं ने छात्र-युवा और महिलाओं को अधिक संख्या में जनतंत्र समाज से जोड़ने पर बल दिया।इसके अलावा, सम्मलेन में मेरे द्वारा लिखी गयी, "आगे का रास्ता" शीर्षक 2 पन्नो का आलेख भी वितरित किया गया। आलेख में मैं ने आर० एस० एस०-भाजपा के फ़ासीवाद की ओर बढ़ते क़दमों को, हर क़दम और हर स्तर पर चुनौती देने की ज़रूरत पर बल दिया था।

CAA **और** NRC/NPR **का विरोध**

सम्मलेन के बाद मैं ने "नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध क्यों" और "NPR का बहिष्कार क्यों" शीर्षक से आलेख लिखे, और इन्हे प्रिंट कर और सोशल मीडिया द्वारा वितरित किया गया। (दोनों आलेखों का प्रकाशन 'बुद्धिवादी' जुलाई 2019-जनवरी 2020 अंक में किया गया है)

फुलवारीशरीफ़ पर रिपोर्ट

21 दिसंबर, 2019, को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा CAA के विरोध में बिहार बंद का आयोजन किया गया था। उस दौरान फुलवारीशरीफ़ पटना में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई थीं। जनतंत्र समाज-बिहार की एक टीम ने बंद के दौरान पथराव एवं गोली चलाने की घटना की जाँच के लिए 5 एवं 6 जनवरी को फुलवारीशरीफ़ का दौरा किया, और घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम मृतक के परिवार से मिली और घायलों तथा उनके परिवारों से मिल कर, पूरी वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास किया। जाँच की रिपोर्ट को प्रिंट और सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया। इस टीम में मेरे अलावा, प्रभात कुमार और एक स्थानीय वकील भी शामिल थे।

26 जनवरी : संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ

26 जनवरी, 2020, को बुद्धिवादी सेमिनार कक्ष में संविधान की प्रस्तावना के हिंदी और अंग्रेज़ी में सामूहिक पाठ का कार्यकर्म आयोजित किया गया। इस में मेरे अलावा, डॉ० कवलजीत, प्रिया नाथ, समय नाथ, डॉ० किरण नाथ, शैलेन्द्र नाथ, निर्मलचंद्र, विनोद कुमार रंजन, संजीव कुमार श्रीवास्तव, जगत भूषण, यू. एस. दत्ता, बमबम कुमार सिंह, सतीश कुमार, ललित कुमार, जोगी शाह, अनुराधा झा, सुरेंद्र कुमार सुमन, प्रभाकर कुमार, छवि नाथ, विनय कुमार, अशोक कुमार आज़ाद, शामिल हुए। इस कार्यकर्म की वीडियोग्राफी भी की गयी और उसे फेसबुक सहित कई सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया।

पैंडेमिक में पटना विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और डॉ० आंबेडकर चेयर प्रोफेसर की ज़िम्मेवारी

इस बीच कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, मार्च में, चार घंटे के नोटिस पर, लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लॉकडाउन

के दौरान ही 1 अप्रैल, 2020, से मुझे विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा, मुझे विश्विद्यालय के डॉ० आंबेडकर चेयर में, चेयर प्रोफेसर की ज़िम्मेवारी भी दी गयी।

सोशल मीडिया में अभियान

लॉकडाउन के दौरान हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अप्रवासी मज़दूरों की समस्याओं पर सरकार और आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हमने धर्म के आधार पर नफ़रत फ़ैलाये जाने का भी विरोध किया, और कोरोना-वायरस के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया।

जून माह में आम्बेडकर चेयर द्वारा चार शनिवारों को वेबिनारों का आयोजन, और चेयर के वेबसाइट की लॉन्च

जून माह में, मैंने चेयर प्रोफ़ेसर की हैसियत से लगातार चार शनिवारों को वेबिनार का आयोजन किया। इसमें से 13 जून को आयोजित दूसरे वेबिनार का विषय था "सामाजिक न्याय के लिए डॉ० आम्बेडकर का संघर्ष"। इसी तरह, 20 जून को आयोजित तीसरे वेबिनार का विषय था "जेंडर समानता पर डॉ० आम्बेडकर के विचार"। 27 जून को आयोजित चौथे और अंतिम वेबिनार का विषय था "अप्रवासी मज़दूरों की समस्याएं"। 27 जून को ही डॉ० आम्बेडकर चेयर, पटना विश्विद्यालय, के वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इन वेबिनारों की रिकॉर्डिंग को डॉ० आम्बेडकर चेयर के वेबसाइट पर डिजिटल रूप में प्रकाशित किया गया; जहाँ उन्हें अभी भी देखा जा सकता है (ambedkarchair.org)। इन वेबिनारों में मेरे अलावा, जनतंत्र समाज से जुड़े, डॉ० कवलजीत, डॉ० ज़ियाउल हसन, प्रोफेसर साजदा खातून, शीबा नाज़, ललित कुमार, डॉ० ज्योति माला शामिल थे।

5 जून को जे० पी० निवास पर प्रदर्शन

5 जून सम्पूर्ण क्रांति दिवस को मैंने लॉकडाउन के बाद, पहली बार सार्वजानिक रूप से जे० पी० निवास, क़दमकुंआ, पटना, जा कर कई साथियों के साथ अप्रवासी मज़दूरों के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैये, और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली तथा साम्प्रदायिकता जैसे मुद्दों पर अपना विरोध प्रकट किया।

9 जून कार्यकारिणी की बैठक

9 जून, 2020, को मेरी अध्यक्षता में "आज के समय हमारी भूमिका" विषय पर जनतंत्र समाज, बिहार, के कार्यकारिणी की बैठक, बुद्धिवादी सेमिनार कक्ष में हुई। इस बैठक में, विनोद कुमार रंजन, प्रभात कुमार, लीजा खुशबु, निर्मल चंद्र, डॉ० कवलजीत और ललित कुमार शामिल हुए। बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए :

1. क्वारंटाइन सेन्टर और टेस्टिंग सहित स्वास्थ्य-सेवाओं में सुधार लाया जाये।
2. श्रमिकों के अधिकारों में कटौती वापस ली जाये, और काम के घंटे फिर से वापस आठ घंटे बहाल किये जाएँ।
3. बिहार सरकार अप्रवासी मजदूरों के लिए बिहार में रोजगार की व्यवस्था करे।
4. साम्प्रदायिक दुष्प्रचारऔर हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाये।
5. घरेलू हिंसा और सेक्सुअल उत्पीड़न पर सरकार रोक लगाए।
6. अंधाधुन्द निजीकरण पर रोक लगाई जाये।

प्रांतीय वेब कॉन्फ्रेंस

जनतंत्र समाज-बिहार द्वारा 12 जुलाई को "आज के समय हमारी भूमिका" पर एक प्रांतीय वेब कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एस० आर० हिरेमठ ने लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए अभियान चलाने पर बल दिया। मैं ने विषय-प्रवेश कराते हुए, ऊपर बताये 6 प्रस्ताव को सम्मलेन के सामने रखा, जिसका ललित कुमार ने समर्थन किया। इन 6 प्रस्तावों के अलावा राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत 7 वें प्रस्ताव को भी सम्मलेन में स्वीकार किया गया :

7. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले बंद किये जाएँ, और ऐसे सभी लोगों को रिहा किया जाये, जिन्हे सिर्फ उनके राजनितिक विचारों के कारण जेल में बंद किया गया है।

इस सम्मलेन में प्रोफेसर साजदा खातून और डॉ० ज्योति माला ने भी अपने विचार रखें। धन्यवाद ज्ञापन प्रभात कुमार द्वारा किया गया, और कार्यक्रम का संचालन प्रिया नाथ ने किया।

इस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग फेसबुक पर, बुद्धिवादी फाउंडेशन के पेज पर तो उपलब्ध है ही, इसके अलावा, इस वेब कॉन्फ्रेंस और डॉ० आम्बेडकर चेयर द्वारा आयोजित चार वेबिनारों को प्रिंट मीडिया में भी अच्छी कवरेज मिली।

9 अगस्त से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया अभियान

9 अगस्त से 15 अगस्त, 2020, तक जनतंत्र समाज-बिहार ने (1) सार्वजानिक बुद्धिजीवियों के लिए न्याय और (2) अप्रवासी मज़दूरों के लिए सम्मानजनक जीवन विषय पर एक सोशल मीडिया अभियान चलाया। इसकी शुरुआत 9 अगस्त को एक प्रांतीय वेब कॉन्फ्रेंस से हुई। इसमें मुख्य वक्ता जनतंत्र समाज के राष्ट्रीय जेनेरल सेकेटरी, एन. डी. पंचोली, थे। उन्होंने लोकतान्त्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने की बात कही। बी० एच० यू० के असोशियेट

प्रोफ़सर, प्रमोद कुमार बागड़े, ने संविधान के संरक्षन की बात कही। पी.यू. दर्शनशास्त्र विभाग की गेस्ट फ़ैकल्टी, डॉ० आकांशा, ने लॉकडाउन में मज़दूरों और मीडिया संस्थानों में उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। डॉ० ज़ियाउल हसन, ज्योति माला और सुजाता सिंह ने भी अपने विचार रखे। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फेसबुक पर दी गयी, और इसे प्रिंट मीडिया में भी कवरेज प्राप्त हुआ। इस अभियान की समाप्ति 15 अगस्त को वेबिनार में संविधान की प्रस्तावना के हिंदी और अंग्रेज़ी के सामूहिक पाठ से हुई।

29 अगस्त, 2020, को मैंने जनतंत्र समाज-बिहार के अध्यक्ष की हैसियत से 'जनमुक्ति विमर्श' के प्लेटफार्म से "मानव अधिकार और जनतंत्र" विषय पर एक आधे घंटे का व्याख्यान किया।

2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अभियान

2 अक्टूबर, 2020, को बुद्धिवादी सेमिनार कक्ष में "विधान सभा चुनाव में हमारी भूमिका" विषय पर मेरी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमे निम्नलिखित लोग शामिल हुए : प्रियदर्शी सौरभ, राधेश्याम, निर्मल, शिव शंकर, शीबा नाज़, ललित कुमार, बमबम कुमार सिंह, जगत भूषण और सौरव कुमार। बिहार विधान सभा चुनाव में गैरपार्टी संगठन के रूप में जनतंत्र समाज किन मुद्दों को उठाये इस पर चर्चा हुई, और सभी ने इस पर विचार रखे।

2 अक्टूबर को ही मैं ने हाथरस रेप कांड के विरुद्ध जन अभियान द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क, पटना, के सामने आयोजित विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया, और अपनी बात रखी। इस विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरों और वीडियो रिकॉडिंग को सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया।

4 अक्टूबर को मैं CFD के नैशनल कॉउन्सिल की वेब मीटिंग में शामिल हुआ, और बिहार विधान सभा चुनाव में हमारी क्या भूमिका हो इस पर अपने विचार रखे।

11 अक्टूबर, जे० पी० के जन्म दिवस के अवसर पर, बुद्धिवादी सेमिनार कक्ष में, 'बुद्धिवादी' के जुलाई 2019-जनवरी 2020 के इलेक्ट्रॉनिक अंक का लोकार्पण किया गया। इसमें मेरे "नागरिक संशोधन कानून का विरोध क्यों?"और "NPR का बहिष्कार क्यों?" आलेख भी शामिल हैं।

18 अक्टूबर को 'बुद्धिवादी' जुलाई, 2020, के अंक का लोकार्पण किया गया। इसका अग्रलेख मेरे द्वारा लिखी गयी, "आगामी बिहार विधान सभा चुनाव में गैरपार्टी नागरिकों की भूमिका" है। इस आलेख को पर्चे के रूप में प्रकाशित कर, और सोशल मीडिया के ज़रिये भी वितरित किया गया।

24 अक्टूबर को मैं ने पर्चे के रूप में प्रकाशित इस आलेख को वीडियो के रूप में फेसबुक पर जारी किया।

23 दिसम्बर को पटना में किसान आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम

23 दिसंबर को मसौढ़ी, पटना, में 'किसान जनतंत्र समाज' के बैनर पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके आयोजक जनतंत्र समाज के उमेश थे, और कई वक्ताओं ने इस अवसर पर किसान आन्दोलन के समर्थन में अपने विचार रखे।

इस पूरे समय हमनें फेसबुक, ज़ूम और व्हाट्सअप के ज़रिये लगातार मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के पक्ष में; तथा सरकार की असंवेदनशीलता, तानाशाही, साम्प्रदायिकता, दलितों पर अत्याचार और रेप के विरुद्ध, वक्तव्य जारी किये, और अपनी आवाज़ उठायी।

शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।

डॉ. आंबेडकर

संघर्ष के बिना क्रांति नहीं होती।

जयप्रकाश नारायण

पुस्तक परिचय

Book Description:

Dr. Ramendra, *Why I am Not a Hindu* (Trivandrum: Mythri books, first Mythri edition, September, 2020)

In addition to *Why I am Not Hindu*, the nearly 100 page book contains the following essays of Dr. Ramendra:

1. Why I do not want Ramrajya
2. The Myth of Unity of all Religions
3. Rationalism and Humanism
4. Humanism in Twentieth Century Indian Thought
5. Why Dr. Ambedkar renounced Hinduism?

("Why I am Not a Hindu" in the book is extracted from the second edition of *Why I am Not a Hindu,* published by the Bihar Rationalist Society in 1995)

Available from: Mythri Books

Annu's Arcade, Mahathma Gandhi Rd., Spencer Junction, Palayam, Thiruvananthapuram, Kerala-695001

Email: mythribooks@gmail.com

Phone: 8547020761

Price: 150 INR

Publishing History of *Why I am Not a Hindu* by Dr. Ramendra:

Why I am Not a Hindu by Dr.Ramendra was first published by Bihar Rationalist Society (Bihar Buddhiwadi Samaj) in 1993. It's second edition was published by Bihar Rationalist Society, Patna, in 1995 with the title *Why I am Not a Hindu and Why I do not want Ramrajya*. It's third revised edition was published by the Buddhiwadi Foundation in 2011 on amazon as a POD (Print on Demand) book. Subsequently, *Why I am Not a Hindu* was published by the Buddhiwadi Foundation on amazon as kindle eBook in 2011 itself. Same year it was published at smashwords by the BF as a multiformat eBook.

The Hindi version of the book, written by Dr. Ramendra himself, titled *Main Hindu kyu Nahin* was first published in 2001 by the Buddhiwadi Foundation. The second revised eBook edition of *Main Hindu Kyun Nahin* was published by the Buddhiwadi Foundation on pothi.com in 2014. *Why I am Not a Hindu* has also been translated and published in Oriya and Malayalam. It is presently being translated into Assamese.

हाथरस गैंगरेप अपडेट

शीबा नाज़

'बुद्धिवादी' के पिछले अंक (जुलाई 2020) में हमने हाथरस की घटना का उल्लेख किया था। संक्षेप में, घटना इस प्रकार थी : उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में 14 सितम्बर को 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसके अलावा, उनके साथ बुरी तरह मारपीट भी की गयी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आयी थीं। आरोपियों ने उनकी जीभ भी काट दी थी। उनका इलाज अलीगढ़ के एक अस्पताल में चल रहा था। करीब 10 दिन के इलाज के बाद उन्हें दिल्ली के सफ़दरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद 21 सितंबर को युवती होश में आयी, तो अपने साथ हुई आपबीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद 23 सितंबर को उन्होंने पुलिस के समक्ष बयान दिया।

आरोप है कि युवती के ही गांव के सवर्ण जाति के चार लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया था। युवती के भाई की शिकायत के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 19 सितम्बर, 2020, को 20 वर्षीय संदीप को गिरफ्तार किया गया। 22 सितम्बर, 2020, को पीड़िता के गैंगरेप बयान के बाद अन्य तीन आरोपियों -- संदीप के चाचा रवि (35 वर्ष) और उसके दो दोस्त लवकुश (23 वर्ष) तथा रामू (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।

घरवालों के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद पीड़िता का शव पुलिस ने ज़बरदस्ती जलवा दिया। युवती की मौत के बाद कथित तौर पर, परिवार की सहमति के बिना, जल्दबाज़ी में किये गए अंतिम संस्कार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार नोटिस जारी किये जाने के बाद, उत्तर-प्रदेश सरकार ने बीते 3 अक्टूबर को मामले की जांच सीबीआई को सौंप जाने की सिफारिश की थी।

उत्तर-प्रदेश की सरकार लगातार यह दावा कर रही थी कि युवती के साथ बलात्कार की घटना नहीं हुई है। ताज़ा रिपोर्ट यह है कि CBI ने चार लोगों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाते हुए, चार्जशीट लगायी है।

इस तरह, केंद्र सरकार की एजेंसी, CBI, ने इस मामले में, उत्तर-प्रदेश सरकार के दावों को झुठला दिया है।

नारी की एकजुटता

डॉ. कवलजीत

हम नारीवादी आंदोलन को नारी की एकजुटता से ही साकार रूप दे पाएंगे। निश्चय ही, हमारे इस आंदोलन की सफलता नारियों की एकता पर ही टिकी हुई है। हमारी "एकजुटता" (solidarity) जुड़ाव की ताकत से ही नारी आंदोलन को मज़बूती मिलेगी। इसी एकता से ही हमें सभी साथियों के संयुक्त विकास और सभी साथियों का एक-दूसरे पर भरोसा करने और भरोसे का पात्र बनने का अवसर मिलेगा।

नारियों की एकजुटता ही हमें समाज में स्वतंत्रता, समता, न्याय और गरिमा के मूल्यों को हासिल करने की मंज़िल तक ले जाएगी। अनेक महिलाओं के साथ दोस्ती के तार जुड़ने से हमें स्वतंत्रता और खुशी का एहसास होगा। साथ ही, नारी आंदोलन का सफ़र उम्मीद और उमंग भरा होगा।

वैसे तो, सामाजिक तौर पर लड़कियों/युवतियों/ महिलाओं की आपसी दोस्ती की नींव मज़बूत होनी चाहिए। लेकिन, हमारे भारतीय समाज में "बहनापा" (भाईचारे के तर्ज़ पर, महिलाओं की एकजुटता) के सम्बंधों में कमी दिखती है।

मेरी समझ से इसके दो कारण हैं - पहला, पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित हमारी संस्कृति; और, दूसरा, भारतीय समाज में क्रमिक असमानता पर आधारित जाति-व्यवस्था।

नारियों की आपसी रंजिश, टकराव, अविश्वास, एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, इत्यादि दुर्गुण हमारे समाज की सांस्कृतिक देन है। दरअसल, पुरूषों द्वारा महिलाओं को अपने ऊपर आश्रित (dependent) बनाने और उन पर नियंत्रण (control) करने के लिए, महिलाओं के सतीत्व, प्रेम, त्याग, सेवा, मातृत्व इत्यादि गुणों की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि इनमें से कुछ गुणों को प्रोत्साहित करने में दोष नहीं है, परन्तु इन गुणों को अपनाने का दारोमदार सिर्फ़ नारियों पर थोपे जाने की बात जँचती नहीं है।

अक्सर नारियों को बचपन और यौवन में ही कुछ परिवारों में सुनने को मिलता है कि "वंश चलाने के लिए तो बेटे का जन्म होना चाहिए", "लड़कियाँ परायी होती हैं, उन्हें तो ससुराल जाना है। " आम तौर से ससुराल में "घर का काम, बहु का काम" को चरितार्थ किया जाता है, जिससे नारी की हैसियत सिर्फ़ नौकरानी की हो कर रह जाती है।

इन प्रक्रियाओं से लड़कियों/युवतियों के आत्मविश्वास में कमी आती है, और वे अक्सर छोटी-छोटी बातों, झगड़ों में ही उलझी रहती हैं। अधिकांशतः, पुरुषों को खुश करने के क्रम में महिलाएं आपसी सदभावना नहीं रख पाती हैं। कुछ महिलाएं पितृसत्तात्मक सोच से संकीर्ण निजी लाभ की आशा में परिवार की अन्य युवतियों/महिलाओं से अन्याय कर बैठती हैं। "औरत-ही-औरत की दुश्मन होती है" के जुमलों को प्रचारित करने से नारियों का एक-दूसरे पर संदेह पनपना स्वाभाविक ही है !

ज़रूरत है "बहनापा" की भावना को समझने और प्रोत्साहित करने की। वैसे तो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत महिलाओं की एकता के कई सफल संघर्षों के उदाहरण हमारे सामने हैं। फिर भी, कुछेक पढ़ी-लिखी महिलाएं अपने विचार व्यक्त करती हैं कि वे "गपशप (gossip) नहीं करतीं", इस वजह से अन्य महिलाओं से दोस्ती नहीं करती हैं! क्या महिलाओं को सिर्फ़ "गपशप करने वाली" से जोड़ना सही है। ख़ुद भी तो हम सब महिला ही हैं। हम में से कई तरह से महिलाएं खेत, खलिहान, समाज-सुधार के कामों, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, लेखन, इत्यादि में अपना योगदान दे रहीं हैं।

अक्सर, महिलाएं खुद को अकेला और दुःखी समझती हैं। ऐसे में अन्य महिलाओं से उन्हें अपने दुःखों को साझा करने से राहत होती है। सिर्फ़ पुरुषों से अपना कष्ट साझा करने और मदद लेने से वही पावर और कंट्रोल की चपेट में फसंना ही होगा। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए।

ज़रा सोचिये! यदि घर के अंदर होने वाले भेदभाव और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए घर की सभी महिलाएँ एकजुट हो जाएं, तो परिवर्तन अवश्य आएगा ही। इसका परिणाम होगा कि पृतसत्तात्मक ढांचा ढह जाएगा। हाँ, परिवारों में दरारें आने का ख़तरा है।

दूरअंदेशी पुरुष खुद ही समतावादी होने की कोशिश करेंगे और "नारीवाद" अथार्त जेंडर समानता के समर्थक बन जायेंगे। नारीवादी आंदोलन में संघर्षरत नारी संगठन आपसी "बहनापा" के बल पर ही

प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं।

आवश्यकता है, खुद को बदलने की; फिर इस मुहिम में परिवार में स्त्रियों की आपसी दोस्ती, एक-दूसरे का साथ देने का पक्का इरादा!

"बहनापा" के साथ-साथ भारतीय समाज के सन्दर्भ में हमारे संविधान द्वारा समानता का अधिकार तो मिला है। साथ ही, गावों में पंचायत के स्तर पर महिला आरक्षण की व्यवस्था है। महिला आधारित प्रतिनिधित्व राज्यों और केन्द्र के स्तर पर भी ज़रूरी है। स्पष्ट है, महिला आरक्षण लागू होना अनिवार्य है।

मैं इस महिला आरक्षण नीति को जातिगत प्रतिनिधित्व से भी जोड़ने की वकालत करुँगी। आज के समय महिलाओं को जेंडर और जाति की दोहरी मार सहनी पड़ती है। इससे जेंडर असमानता और क्रमिक जातिगत असमानता दोनों को दूर कर, समता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा पर आधारित समाज का निर्माण हो सकेगा।

सांस्कृतिक सोच का अपडेट

डॉ. कवलजीत

नारीवाद आंदोलन या पितृसत्तात्मक सोच के विरुद्ध संघर्ष (लम्बे समय से) भारत में लगभग 19 वीं सदी से चल रहा है। इसके ज़रिये लाए गए परिवर्तन भी नज़र आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की बाधाएँ भी काफ़ी हद तक दूर हुई हैं।

शिक्षा और कैरियर के बावजूद कई युवतियों का दहेज, कन्यादान, सिन्दूर, मंगलसूत्र, विवाह के बाद अपना सरनेम बदलना, इत्यादि रीति-रिवाज़ों का विरोध नहीं करना, चिंता का विषय है। इसके अलावा, अपने जीवन साथी की लम्बी उम्र के लिए 'करवाचौथ', 'तीज'; बेटों की खुशहाली के लिए 'जितीया' का उपवास करना - सीधे-सीधे तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन की बजाए अंधविश्वासी जीवन-शैली अपनाना है। यह बौद्धिक पिछड़ेपन की निशानी है। ऐसी महिलाओं द्वारा जन्में और उनके द्वारा पालन-पोषण किए गए बच्चों में मानवीय गरिमा का भाव आना मुश्किल होगा। अधिकांश परिवारों में बच्चों की प्रथम शिक्षिका महिलाएं ही होती हैं।

दरअसल, शिक्षा से हमारी बुद्धि और संस्कार में विकास होता है। इस कारण, शिक्षित होने से बुद्धि का इस्तेमाल कर हमें विश्लेषणात्मक प्रक्रिया अपनाने में सहूलियत होती है। "आस्था" का दामन थाम कर हम-अपने-आप को सुधार नहीं पाएंगे। हमें तार्किक प्रश्न उठाने के सिलसिले को अपनाना ही होगा।

हम जानते है कि बच्चों में भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है। हम भी अपने बच्चों से कहते हैं - "सवाल पूछो। पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे?"

हमें इस प्रवृत्ति को खुद अपनाना होगा और बच्चों की प्रश्न पूछने पर जानने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना होगा।

यह कैसे होगा?

धर्म की जड़ तो आस्था ही है। आस्था, अर्थात् बिना प्रमाण या विपरीत प्रमाण के बावजूद, किसी चीज़ या विश्वास को मानना। एक ओर, धर्म और धार्मिक विचारों में अंधविश्वास और दूसरी ओर, वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा के महत्व को प्रचारित करना - दोनों बेमेल स्थितियां हैं। इससे हमारे बाहरी जीवन, रहन-सहन, स्कूल-कॉलेज, नौकरी, रोज़गार - में तो प्रगतिशीलता नज़र आती है, परन्तु धार्मिकता की वजह से हमारा सांस्कृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। हमारी सांस्कृतिक सोच का अपडेट (update) बहुत ज़रूरी है।

इस प्रक्रिया से हम महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवारों में बच्चों की परवरिश तार्किक-वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और गरिमा के मूल्यों पर हो पायेगी।

शिक्षा के सही इस्तेमाल से हम अच्छे मनुष्य बन पाएंगे। इससे समाज में जेंडर असमानता, अंधभक्ति, शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव, हिंसा, बलात्कार और हत्या में कमी आएगी।

कुदरत भेद बनाती है, भेदभाव नहीं। समाज कुदरत के बनाए भेद के आधार पर भेदभाव करने लगता है।

कमला भसीन

शर्मनाक अश्लील गालियां

अरुणा प्रसाद

नहीं चाहते हुए भी अक्सर राह चलते हुए अपने आस-पास सुनने को मिल जाता है, और जिन्हें सुन कर सिर शर्म से झुक जाता है -- वे हैं गंदी-गंदी, घिनौनी, दिल को अंदर तक आहत करने वाली गालियां! मन के अंदर कोई पूछता है, ओह हमें तो सुनना भी असहनीय है, और ये इतनी घृणित भाषा का प्रयोग इतनी सहजता से कैसे किये जा रहे हैं। वो भी मां-बहनों को लगा के। इन दोनों के कहासुनी में मां-बहनों की कोई भूमिका ही नहीं है, पर दोनों पक्ष एक-दूसरे की मां-बहनों की इज़्ज़त उतार रहे हैं, मौखिक रूप से अपने शब्दों से उनका बलात्कार कर रहे हैं, और किसी को कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। मां-बहनों की गाली दे के वो समझते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति विशेष को अपमानित किया जिसकी मां-बहन का वो अपमान कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि अपमान उस व्यक्ति विशेष का नहीं वरन उसकी मां-बहनों का हो रहा है; जिनकी इस कहा-सुनी से दूर-दूर का वास्ता नहीं है।

लोगों को न सिर्फ़, गुस्से में, झगड़े में, विवाद में ही गालियों का प्रयोग करते देखा-सुना, बल्कि कई जगह तो ये लोगों का तकिया कलाम है। कोई बहुत दिनों बाद मिला तो ख़ुशी का इज़हार पहले गाली से ..., उसके बाद, "इतने दिन कहां रहा, तुम्हें अब हमारी याद आई?"

किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की तो पहले गाली ..., फिर शाबाशी। "कमाल किया तुमने, हमारा नाम रोशन किया" इत्यादि सब गाली के बाद। न सुनने वाले को बुरा लगा और कहने वाले की तो बात ही क्या? दोनों की नज़र में यह सामान्य बोलचाल की भाषा है।

लोगों की ऐसी मानसिकता कि इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता भला कैसे और क्यूं बनी, गहन सोच का विषय है।

इस आदत का बीज बच्चों में बचपन में ही डाल दिया जाता है। वो अपने बड़ों को जो करते या बोलते सुनते हैं, वही सीखते हैं, वही बोलते हैं। उनकी नज़र में जो बड़े कर रहें हैं या बोल रहे हैं वो सही ही है। जो गालियां बड़े बोलते हैं बच्चे उसे आम बोल चाल की भाषा समझ कर सीख लेते हैं और बगैर उसका अर्थ समझे बोलना शुरू कर देते हैं। तभी वे बड़े हो कर बड़ी सहजता के साथ इतनी घृर्णित भाषा बोल जाते हैं। बड़े भला बच्चों को कैसे रोकें; वो तो खुद ही वही कर रहें हैं और उन्होंने भी अपने बचपन में ही यह सीखा है। उनकी नज़र में इसमें कुछ भी अशोभनीय और निन्दनीय नहीं है। इस तरह, हमारे समाज ने एक निहायत ही घृर्णित और शर्मनाक परम्परा को जन्म दिया है।

इसमें नारी को निशाना बना कर उसकी अस्मिता, इज़्ज़त और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये न सिर्फ़ औरतों के प्रति अन्याय है बल्कि ये भी दर्शाता है कि हमारा समाज कितना सभ्य, सुसंस्कृत और संस्कारी है! सभ्य समाज और उन्नत समाज में ऐसे घृणित दृष्टान्त कम ही देखने सुनने को मिलते हैं।

क्या हमें अपने समाज को उच्चस्तरीय, सुसंस्कृत, सांस्कृतिक रूप से विकसित बनाने के लिए इस घृणित एवं क्षुद्र मानसिकता का विरोध कर, उन्हें इन सारे मामले में सजग बनाने की ज़रूरत नहीं है?

मां-बहनें आदर की पात्र हैं, ना कि अनादर, अपमान की! उनका अपमान घर के हर सदस्य का और समाज का अपमान है।

ये तो परोक्ष रूप से गाली देने वाले भी समझते हैं कि उन्होंने जिसे मां-बहनों की गाली दी है, उसका और उसके परिवार वाले का अपमान किया है।

हम बड़े गर्व से कहते हैं "हमारे देश में नारी पूज्यनीय हैं"। पर, इसमें कितनी सच्चाई है? तुम्हारी जिस से अनबन हुई है, उसे अपशब्द न कह के उनकी मां-बहनों के लिए गंदी गालियां निकाल रहें हैं। उन्हें कलंकित कर रहे हैं। ये कैसा समाज है! इसकी कथनी-करनी में इतना अंतर्। रुग्ण मानसिकता के लोग रुग्ण समाज का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग ना सिर्फ़ नारियों के प्रति हुए अन्याय के लिए दोषी हैं, वरन समाज के लिए भी कलंक है।

एक माँ का ही क्यों लेते नाम।
घर का काम सब का काम।

कमला भसीन

इतिहास गवाह है - महिला किसान

डॉ. किरन नाथ

तीन किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। एक महीने से अधिक समय से वे दिल्ली के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यू.पी बॉर्डर पर सड़कों पर बैठे हैं। इनमें महिलायें और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जब भी किसान कहा जाता है तब केवल पुरुष को ही इंगित किया जाता है। जबकि किसानी का अधिक काम महिलाएं ही करतीं हैं -- रोपनी, बोआई, कटाई, दलना, कूटना, सफाई, जैसे, कितने ही खेती के काम महिला ही करती हैं; लेकिन उन्हें किसान का दर्ज़ा नहीं मिला, न ही वे खेतों की मालिक होतीं हैं। हालाँकि इस किसान आंदोलन में यह मुद्दा नहीं है। फिर भी, प्रासंगिक है कि हम कृषि के इतिहास को टटोलें और उसके महिलाओं की भूमिका और योगदान को जानें।

प्रागऐतिहासिक काल में, मानव खेती नहीं करता था। वह अपने आहार के लिए जानवरों का शिकार करता और कन्द मूल इकठ्ठा करता। इसके लिए, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता; यानी, स्थायी तौर पर कहीं बसता नहीं था। प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास बतलाता है कि मानव ने सबसे पहले नदियों के किनारे ही बसना शुरू किया, जहाँ उसने खेती करके अन्न उपजाना आरम्भ किया। जैसे, दजला, फ़रात नदी के किनारे बेबीलोन, असीरिया, नील नदी के किनारे मिश्र, यांगस्टी नदी के किनारे चीन और सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यताओं का पुरातात्विक प्रमाण हैं। प्राचीन सभ्यताओं को कृषि युग कहा जा सकता है। इन प्राचीन काल में समाज मातृसत्तात्मक ही था और वर्तमान की तरह महिला ही कृषि कर्म करती थी। इसमें कोई शक नहीं कि स्थायी तौर पर नदियों के किनारे बसकर खेती से अन्न उपजाने की पहल महिलाओं की ही थी क्योंकि प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण का कार्य घुमन्तु जीवन में महिलाओं के लिए सहज नहीं था। सीमोन द बउआर जैसे पश्चिमी नारीवादियों ने इस पर विस्तार से लिखा है। सीमोन अपने मशहूर किताब 'द सेकेंड सेक्स' में लिखती हैं कि प्राक कृषि काल में स्त्री की स्थिति कैसी थी इस संबंध में अनुमान करना कठिन है हम इतना भर जानते हैं कि उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। कृषि युग में स्त्री पुरुषों के इतने अधीनस्य नहीं थी कि वह गुलाम कहलाये; स्त्री पुरुष समान रूप से सामाजिक, आर्थिक (कृषि) अस्तित्व के सहभागी थे। आगे, सीमोन, कैसे मातृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक अवस्था में आया, इसकी चर्चा करते हुए लिखती हैं, "जैसे-जैसे समाज का विकास होता गया पुरुष में सत्ता का मोह बढ़ता गया, वह जमीन-खेती सम्पत्ति पर कब्ज़ा करने लगा। यहाँ आकर स्त्री अब पुरुष की वस्तु बनकर रह गयी, उसका महत्व जमीन के टुकड़े और गाय, बैल से अधिक नहीं रह गया। जहाँ स्त्री परिवार की मुखिया हुआ करती थी और जमीन खेतों की स्वामिनी थी अब उसकी हैसियत दासी की हो गयी। संतान को पिता का नाम मिलने लगा; सम्पत्ति और खेतों का मालिक भी पिता ही होता था। इस तरह, नारी की स्थिति पुरुष-प्रधान सामाजिक संस्थाओं द्वारा कमज़ोर बना दी गयी।"

यह भी ऐतिहासिक सच्चाई है कि उपरोक्त प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करने वाले घुमन्तु घुड़सवार जातियाँ थीं। कहते हैं कि आक्रमणकारी केवल पुरुष ही थे, इनके साथ स्त्रियाँ नहीं थीं; जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि महिलाओं ने घुमन्तु जीवन को त्याग दिया था। सभ्यताओं की नींव उन्होंने ही डाली। जहाँ उनका जीवन सुख और शांति से गुज़र रहा होगा। स्त्रियाँ सृजनशील और पुरुषों से अधिक शान्तिप्रिय एवं ममतामयी होती हैं, इसलिए, बर्बर आक्रमणकारी ने आसानी से उन्हें अपने काबू-कब्ज़े में कर लिया। कृषि-कार्य से लेकर गृह कार्य तक सभी मेहनत का काम तो वह करतीं थी, लेकिन उनकी स्थिति एक मजदूर या दासी की तरह हो गयी। समाज, परिवार में भी वे दोयम दर्जे की बना दी गयी।

जितनी भी लड़ाईयां या आक्रमण हुए सभी जमीन और सम्पत्ति के लिए ही हुए। भारत में यह आक्रमण प्राचीन काल से ही होते रहे, लेकिन जमीन के रास्ते से ही हुई प्राकृतिक सीमायें ही थीं, जैसे खैबर दर्रा जो अफ़गानिस्तान सिंध की सीमा पर है, इतना दुर्गम और संकरा है कि घोड़े से पंक्तिबद्ध होकर ही आया जा सकता था। बाद में समुन्द्र के रास्ते से भी पुरुष युद्धा

आने लगे। यह गौर करने की बात है कि इन हमलों में महिलायें बिलकुल नहीं रहती थीं। प्राचीन काल तक समाज कृषि-प्रधान और ग्रामीण-प्रधान ही था। उस समय तक महिलाओं की स्थिति दासता तक नहीं पहुँची थी, लेकिन सत्ता जब कुछ पुरुषों ने अपने हाथ में लेना प्रारम्भ किया, तो राजतंत्र का विकास हुआ। ऐसे में दास-प्रथा प्रारम्भ हुई। दास-दासी ख़रीदे और बेचे जाने लगे। मध्ययुग आते-आते तो किसानों और रैयतों से अनाज या अन्य तरीके से कर वसूले जाने लगे। उन्हें जमीन से बेदखल किया जाने लगा। जैसे-जैसे सत्ता केंद्रीकृत होती गयी, किसानों और महिला किसानों की हालत बिगड़ती ही गयी। महिला किसान के संघर्ष की गाथा पर बनी,'मदर इंडिया' फिल्म का एक गीत उनकी दुर्दशा को इन शब्दों में बयाँ करता है "दिन-रात बहायें पसीना, कुछ हाथ न आये हमारे, हमरी दौलत ठगवा ठग ले जाए"।

आज भी यही स्थिति है। सत्ता और किसान आमने-सामने हैं। पूंजीपति और सत्ताधारी फिर किसानों को खेतों से बेदखल कर के, उन्हें मजदूर और दास-दासी बनाने के लिए कानून लेकर आए हैं। लेकिन, लोकतंत्र ने किसानों में अब इतनी जागरूकता ला दी है कि वे अपने खेतों और अधिकार के लिए सत्ता से भी टकराने को तैयार हैं। महिलाओं में भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आयी है; वे भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहीं है। उन्हें सफलता मिलेगी; उनके हौसलों और संघर्ष को देखकर, ऐसा ही लगता है। हम सबों का समर्थन किसानों (महिला-पुरुष) के साथ है।

लॉकडाउन सम्बन्धी यातनाएँ

डॉ. कवलजीत

पेनडैमिक (करोना) न फैले इसके लिए हमारे देश और विश्व के कई देशों में लॉकडाउन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। लॉकडाउन से एक अनिश्चयता और भय का वातावरण बन गया। हम सबका यह पहला तजुर्बा है। पहले कभी इस तरह के दौर से हमें गुज़रना नहीं पड़ा था। इस दौरान कई तरह की विकट समस्याओं का नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। इससे घरेलू हिंसा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई। अप्रवासी मज़दूरों की त्रासदी भी ज्वलंत समस्या के रूप में उभरी। डिजिटल सर्विस, ग्रौसरी, सब्ज़ी, वैगैराह से जुड़ी ज़रूरी सामान के अलावा, सब तरह के व्यवसाय, उद्योग -धन्धे, स्कूल कॉलेज, खाने-पीने के छोटे ढाबों से लेकर बड़े रेस्टुरेंट, कोचिंग इंस्टिट्यूट और उससे जुड़े हॉस्टल, रहने और खाने से जुड़े संस्थान, इत्यादि आर्थिक उपार्जन के स्त्रोत ठप्प पड़ गए। सेक्स वर्कर की आमदनी बंद हो गई। घरेलू काम वाली महिलाओं के लॉकडाउन की शुरुआत में तो घर से बाहर निकलने की पाबंदी थी। परन्तु बाद में भी कई घरों में संक्रमण फैलने के डर से उन्हें आने नहीं दिया गया। बहुत कम लोगों ने बिना काम किये उन्हें तन्खाह दी। प्राइवेट नौकरियों में मनमानी सैलरी की कटौती या छटनी के मामले सामने आये। नतीजा हुआ कि अधिकांश लोगों को बेरोज़गारी और ज़बरदस्त आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। खाना, कमरे का किराया, किस्त पर ली गयी सामानों की किस्तें इत्यादि के लिए आर्थिक किल्लत हो गयी। ऐसे में लोगों को मित्रों, सगे-सम्बन्धियों, मददगारों के द्वारा किये गए आर्थिक मदद से ही अपना गुज़ारा करना पड़ा।

आमतौर से, पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष अपने पावर- राजनीतिक, आर्थिक, ज्ञान, इत्यादि के ज़रिये महिलाओं पर आसानी से अपना कन्ट्रोल और वर्चस्व बनाए रखते हैं। इस पैनडैमिक के दौर में पुरुषों का पावर और कंट्रोल का खेल आसानी से चला।

सामान्यतः हमारे समाज में एकल महिला (सिंगल वूमन) -- अविवाहित, तलाक़शुदा, विधवा -- का स्टेटस कमज़ोर धरातल पर टिका हुआ माना जाता है। उनके जीवन जीने के तरीके, रहन-सहन, चरित्र पर कई लोग बेधड़क सोचना और बोलना, जैसी गिरी हरकतें करने से बाज़ नहीं आते हैं।

कुछ पुरुष एकल महिलाओं या अन्य महिलाओं की आर्थिक मदद के बदले कई तरह के सम्बन्धों की अपेक्षा करने लगते हैं। सीधे तौर पर कहें तो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं।

इस पैनडैमिक में करोना से तो बाद में लोग प्रभावित होंगे, पहले तो उनका आत्म-सम्मान और आत्म-निर्भरता को ज़बरदस्त धक्का लगता है। ऐसी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है।

इस मजबूरी से बचने का एक उपाय है कि महिलाएं, पुरुष साथी की बजाय स्त्री साथियों से मदद लें। साथ में, अहम् बात यह कि आर्थिक मदद छिपे तरीके से न ली जाए। झूठ और छिपाव से परिस्थितियाँ विकट होती हैं। ज़रूरत के समय आर्थिक मदद लेनी कोई शर्म की बात नहीं है। समाज में अधिकांश लोगों को एक-दूसरे से कई तरह की सहायता की ज़रूरत होती ही है।

जेंडर समानता सोच

डॉ. कवलजीत

पितृसत्तात्मक सोच का कुछ पुरुषों और कुछ महिलाओं के द्वारा भी खेला जा रहा पॉवर और कंट्रोल का खेल है।

जेंडर समानता स्थापित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को खुद को बेहतर और दूसरों को निम्नतर समझने के ताने-बाने से बाहर निकलना होगा।

परिवार और समाज में जेंडर समानता तभी संभव है, जब महिला और पुरुष दोनों समानता के पक्षधर हों। सिर्फ़ विचारों के स्तर पर नहीं, बल्कि व्यवहार के स्तर पर भी। दोनों को ही अपने व्यवहार का स्वतंत्रता, समता, गरिमा, न्याय के मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए।

ज़रूरत है कि पुरूषों द्वारा शिक्षित महिलाओं के स्वतंत्रता, समानता, न्याय, गरिमा के अधिकार एवं मांगों का कुचलना मुश्किल बनाया जाए।

दरअसल में, महिलाओं को समाज की संस्था, परिवार, में ही अपना जीवन व्यतीत करना होता है। उसी परिवेश में यदि उसे असमानता, भेदभाव, उत्पीड़न, सेक्सुअल शोषण का शिकार बनना पड़े; तो वहाँ आरोपी उस महिला/युवती के भाई, पति, पिता या अन्य रिश्तेदार ही हैं। स्थिति निजी तौर पर बहुत नाज़ुक है।

अंततः नारी आंदोलन की सफलता की कुंजी दोनों ही महिलाओं और पुरुषों के हाथ में है। दोनों भले मनुष्य बन जाएँ और बच्चों को खुशहाल, सुरक्षित तथा सही परिवेश दें - यही जेंडर समानता की मंज़िल होगी। साथ ही, जेंडर समानता ही समाज में सांस्कृतिक क्रांति की वाहक साबित होगी। बदलाव के लिए, महिला और पुरुष दोनों को लोकतांत्रिक, मानवतावादी, संवेदनशील इंसान बनना होगा।

बेटी दिल में, बेटी विल में
न दहेज, न महँगी शादी
बेटी को देंगे आधी सम्पत्ति।

कमला भसीन

पुस्तक परिचय

जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता

(लेखक : पेरियार ई. वी. रामासामी, सम्पादक - प्रमोद रंजन, दिल्ली : राधाकृष्ण पेपरबैक्स, पहला संस्करण : 2020, पृष्ठ : 150, मूल्य : 160 रूपये)

पेरियार ई. वी. रामासामी की पुस्तक 'जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता' के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन राधाकृष्ण पेपरबैक्स द्वारा किए जाने को एक प्रगतिशील उपलब्धि माना जा सकता है। प्रकाशन की इस श्रृंखला में पेरियार की दो अन्य पुस्तकें -- 'धर्म और विश्वदृष्टि' और 'सच्ची रामायण' भी शामिल हैं।

'जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता' पुस्तक में सम्पादकीय "हिंदी पट्टी में पेरियार" के साथ नौ अध्याय हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट में पेरियार की जीवनी और सुनहरे बोल तथा तीन लेख भी हैं। ये लेख टी. थमराईकन, वी. गीता एवं एसी. वी. राजदुरै द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें पेरियार के चिंतन, लेखन और संघर्षों के कई आयामों को प्रस्तुत किया गया है।

इस पुस्तक का पहला अध्याय "बुद्धिवाद : पाखंड व अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग" "रेशनलिजम" लेख का अनुवाद है। ('कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार ई. वी. आर', संयोजक - डॉ. के वीरामणि, प्रकाशन : दि पेरियार सेल्फ रिस्पेक्टे प्रोपगंडा इंस्टीट्यूशन; पेरियार थिडल, के प्रथम संस्करण में संकलित)

इस अध्याय में पेरियार ने अन्धविश्वास से मुक्ति के लिए तर्कवाद, बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेक के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया है। उनकी राय में बिना सोचे अंधविश्वासों को अपनाने का ही नतीजा है कि मज़दूर गुलाम बनने की स्थिति में पहुँच गए।

दूसरे अध्याय -- "महिलाओं के अधिकार" में पेरियार का मानना है कि भारत के हर क्षेत्र में महिलाएं अस्पृश्यों से भी अधिक उत्पीड़न, अपमान और दासता झेलती हैं। पेरियार की राय में, सामाजिक विनाश का कारण महिलाओं की पराधीनता है। वे, खास कर परिवार के बच्चों के लिए महिलाओं के बौद्धिक पिछड़ेपन को दूर करने की ज़ोरदार वकालत करते हैं। उनका विचार रहा कि महिलाएं ही परिवार में बच्चों की प्राथमिक शिक्षक रहती हैं।

पेरियार ने गर्भनिरोध को भी महिलाओं की मुक्ति के लिए आवश्यक माना।

इसी तरह, पेरियार ने आत्म-सम्मान, विवाह, जाति, आरक्षण, अस्पृश्यता, जाति और चरित्र, जाति-व्यवस्था की क्षय पर तार्किक, प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी विचारों को अपने भाषणों और लेखों के आधार पर बखूबी प्रस्तुत किया है। दरअसल, पेरियार का आत्म सम्मान आंदोलन महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा योगदान मानना चाहिए। उनके इस आंदोलन के कार्यक्रम 'आत्मसम्मान विवाह' - जातिवाद और पितृसत्ता दोनों पर ही एक करारा प्रहार था।

हिंदी पाठकों के लिए यह पुस्तक प्रेरणादायक और पठनीय है। उन्हें यह पुस्तक बेहद पसंद आएगी।

पुस्तक परिचय

We Should All Be Feminists (हम सभी को नारीवादी होना चाहिए)

(लेखिका : चिमामण्डा नगोजी एडिची, लंदन : फोर्थ एस्टेट, पहला संस्करण : 2014, पृष्ठ : 52, मूल्य - 225 /- रु.)

चिमामण्डा नगोजी एडिची अंग्रेज़ी की एक नाइजीरियन लेखिका हैं, उनके दो उपन्यास : *Half of a Yellow Sun* और *Americanah* को पुरुस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी किताब *We Should All Be Feminists* भी न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में है। साथ ही, इस लघु पुस्तक का अनुवाद 32 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है।

2012 में एडिची ने "हम सभी को नारीवादी होना चाहिए" विषय पर *TED X* पर एक लेक्चर दिया। यह एक पुस्तक-लम्बाई का निबंध है। इसी शीर्षक से 2014 में इसे प्रकाशित किया गया। चिमामण्डा की भाषा सरल, सटीक, रोचक, व्यक्तिगत और अर्थपूर्ण है। उन्होंने इस पुस्तक में नारीवाद की समावेशी और जागरूक परिभाषा प्रस्तुत की है। वे समाज के माइंडसेट की आलोचनात्मक व्याख्या करती हैं।

एडिची अपने व्यक्तिगत अनुभवों का ज़िक्र करते हुए जेंडर और उससे जुड़ी संस्कृति का तार्किक विश्लेषण किया है। उन्होंने कुछ प्रसंगो में नाइजीरिया का भी ज़िक्र किया है।

एडिची के अनुसार, इस विश्व की 52% आबादी महिलाएं हैं। इसके बावजूद, पॉवर और प्रतिष्ठा के अधिकांश उच्च ओहदों पर पुरुष ही आसीन हैं। महिला-पुरुष दोनों की बराबर की योग्यता और समान नौकरियों के लिए भी पुरुषों का वेतन अधिक होता है। एडिची के विचार में पुरुष ही इस विश्व के वास्तविक शासक हैं। उनकी राय में, हमारा विकास तो हुआ है, परन्तु जेंडर के विचार का विकास और अधिक हुआ है।

एडिची ने अपनी पुस्तक में बच्चों के पालन-पोषण के तरीकों पर महत्वपूर्ण और तीखे सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, लड़कियों की परवरिश में उनके व्यक्तिगत को निखरने नहीं दिया जाता है। इसमें लड़कियों को पुरुषों को खुश रखना, विवाह को अपना लक्ष्य समझना, अपनी यौन-शुचिता को कायम रखना, अपनी कामुकता को ज़ाहिर न करना, इत्यादि के विषयों में सिखाया जाता है।

दरअसल,एडिची पुरुषों की परवरिश पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। उनके अनुसार, पुरुषों की मर्दानगी को 'कठोरता' से जोड़ कर उन्हें एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। लड़कों की मनुष्यता को कुंठित कर दिया जाता है। *We Should All Be Feminists* एडिची के पुस्तक का विषय और उसकी तार्किक प्रस्तुति आकर्षक है और पाठकों को अवश्य पसंद आएगी। यह पुस्तक ज़रूर पढ़ें की क्षेणी में रखी जा सकती है।

बुद्धिवादी फाउंडेशन
का आगामी प्रकाशन

सावित्री बाई फुले एवं फातिमा शेख़

लेखिका:

डॉ. कवलजीत